30-7-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। वादी के वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण का जवाब दावा पूर्व में बन्द हो चुका है। वादी वकील को सुना गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2071 वाके ग्राम खुमड़ा में आराजी खसरा $\frac{2358}{1.18}$, $\frac{2359}{0-51}$, $\frac{2223}{0-41}$, $\frac{2232}{0-04}$, $\frac{2251}{0-24}$, $\frac{2258}{1-60}$ रामकरण व हनुमान पि० नारायण कौम मीना सा० देह की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी द्वारा वाद में उपस्थित होना तथा जवाब दावा प्रस्तुत न करना वादी के वाद का परोक्ष समर्थन है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी न०1 को हमेशा-2 के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख० न० $\frac{2358}{1-18}$, $\frac{2359}{0-51}$, $\frac{2223}{0-41}$, $\frac{2232}{0-04}$, $\frac{2251}{0-24}$, $\frac{2258}{1-60}$ हैक्टर वाके ग्राम खुमड़ा तहसील ओनियारा में किसी भी प्रकार से दस्तअंदाजी नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकैन खर्चा अपना-2 वहन करे। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

(हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

रामकरण पुत्र नारायण जाति मीना निवासी सूथडा हाल बलोगी तहसील मुवाली जिला मुवाली(चण्डीगढ)

– वादी

बनाम

1.रूकमा पुत्री घासीराम जाति मीना निवासी भुक्वा (मलारना डुंगर) हाल निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक

2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 64 वर्ष 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री बी0यू0 खान वकील वादी मिनजानिब मुद्दई व वकील मिनजानिब मुद्दायलह..... पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है प्रतिवादी न0 1 को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 2358/1.58, 2359/0. 51, 2223/0.41, 2232/ 0.04, 2251/0.24, 2258/1.60 वाके ग्राम सूथडा तहसील उनियारा मे किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 07 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner